

बन्दोवस्त कार्यालय, मधेपुरा


-:आदेश:-

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोवस्त अधिनियम-2011 की धारा-3 के तहत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-188 दिनांक-03.02.2015 के आलोक में मधेपुरा जिला के अंचल मधेपुरा में भू-सर्वेक्षण कार्य के आधार पर अधिकार अभिलेख तैयार किया जाना है। तदनुसार बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोवस्त नियमावली-2012 के नियम-04 के तहत जिले के अंचल मधेपुरा के निम्नांकित राजस्व ग्रामों का भू-सर्वेक्षण कार्य हेतु दिनांक-08.12.2015 को उदघोषणा की गई। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोवस्त नियमावली-2012 के अध्याय-VI के नियम-08 में वर्णित प्रावधानों के तहत भू-सर्वेक्षण के अन्तर्गत खानापुुरी कार्य को निष्पादित करने हेतु निम्नरूपेण खानापुुरी दल का गठन किया जाता है :-

क्र० सं०	अंचल का नाम	ग्राम का नाम	थाना सं०	खानापुुरी दल में प्रतिनियुक्त कर्मों/ पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम			शिविर में प्रतिनियुक्त कानूनगो का नाम	शिविर का स्थान	अभ्युक्ति
				मधेपुरा अंचल कार्यालय के नामित कर्मों का नाम/पदनाम	निदेशक भू-अभिलेख एवं परिमाण बिहार का प्रतिनिधि का नाम/पदनाम	प्रतिनियुक्त अमीन का नाम			
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
01	मधेपुरा	तुनियाही दक्षिणबाड़ी	72	श्री धीरेन्द्र सिंह, रा०कर्म०	श्री शिवजी पाण्डेय, प्रभारी परिमाण निरीक्षक	श्री दुधनाथ सिंह	श्री किशुनदयाल राय	पंचायत भवन तुनियाही	
02		सुखासन उत्तरबाड़ी	73	श्री धीरेन्द्र सिंह, रा०कर्म०		श्री भगवान सिंह		पंचायत भवन सुखासन	
03		श्रीपुर उत्तरबाड़ी	74	श्री ललन ठाकुर, रा०कर्म०		श्री नरेन्द्र सिंह	श्री विजय कुमार	पंचायत भवन श्रीपुर	
04		सुखासन दक्षिणबाड़ी	76	श्री धीरेन्द्र सिंह, रा०कर्म०		श्री तारकेश्वर सिंह	श्री विनोद चौधरी	पंचायत भवन सुखासन	
05		खौपेती	83	श्री धीरेन्द्र सिंह, रा०कर्म०		श्री महेश राम	श्री भवनाथ झा		
06		मुरयल्ला उत्तरबाड़ी	84	श्री धीरेन्द्र सिंह, रा०कर्म०		श्री धर्मनाथ सिंह	श्री रसिकलाल उइ	पंचायत भवन खौपेती	
07		बालम	86	श्री धीरेन्द्र सिंह, रा०कर्म०		श्री लक्ष्मण बैठा		पंचायत भवन श्रीपुर	


गठित खानापुुरी दल संबंधित सर्वे के सहायक बन्दोवस्त पदाधिकारी श्री अरुण कुमार सक्सेना के पर्यवेक्षीय एवं नियंत्रण में उक्त नियमावली के नियम-09 में वर्णित प्रावधानों के तहत कार्य करेंगे।

आदेश दिया जाता है कि इसे जिला गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाय।


 समाहर्ता
 बन्दोवस्त पदाधिकारी,
 मधेपुरा

ज्ञापंक 61-46/2015-154 दिनांक 12.7.16

- प्रतिलिपि :- सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी एवं कर्मी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- प्रखंड, अनुमंडल एवं जिला स्तरीय सभी संबंधित कार्यालय प्रधान को खानापुरी दल के समक्ष अपने-अपने विभाग से संबंधित स्वामित्व वाली भूमि से संबंधित आवश्यक प्रमाण/दस्तावेज उपलब्ध कराने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- अंचल अधिकारी, मधेपुरा/ थानाध्यक्ष, मधेपुरा/ भूमि सुधार उप समाहर्ता सदर मधेपुरा/ अनुमंडल पदाधिकारी मधेपुरा/ जिला अवर निबंधक मधेपुरा/ अपर समाहर्ता मधेपुरा/ पुलिस अधीक्षक मधेपुरा/ निबंधक व्यवहार न्यायालय मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- आयुक्त के सचिव कोसी प्रमंडल सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, सामान्य शाखा को सूचनार्थ प्रेषित। आदेश दिया जाता है कि इसे जिला गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कर इसकी दस प्रति बन्दोवस्त कार्यालय, मधेपुरा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मधेपुरा को जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


समाहर्ता
-सह-
बन्दोवस्त पदाधिकारी,
मधेपुरा।